भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : 490*

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है

कोयले का उत्पादन

***490. श्री दिनेश चन्द्र यादव:**

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले की मांग में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो आयातित कोयले पर निर्भरता कम करने एवं विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाए न जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पर्यावरण को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर कोयले के इस्तेमाल को कम करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो देश में कोयले के इस्तेमाल में वृद्धि के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"कोयले का उत्पादन" के संबंध में श्री दिनेश चन्द्र यादव और श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन', संसद सदस्य द्वारा दिनांक 06.04.2022 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 490* के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) : पिछले पांच वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान कोयले की अखिल भारतीय मांग, घरेलू आपूर्ति और कोयले के आयात का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वास्तविक मांग (मि.ट.)	836.93	898.25	968.14	955.72	906.13	914.48*
घरेलू आपूर्ति (मि.ट.)	645.98	690.00	732.79	707.18	690.88	741.16
आयात (मि.ट.)	190.95	208.25	235.35	248.54	215.25	173.32@
*मि.ट.-मिलियन टन *फरवरी, 2022 तक वास्तविक मांग @ जनवरी 2022 तक आयात*						

घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए नीतिगत उपायों के कारण कोयले की उपलब्धता में वृद्धि के परिणामस्वरूप, कुल कोयला आयात 2019-20 में 248.54 मि.ट. से घटकर 2020-21 में 215.25 मि.ट. हो गया। अप्रैल 2021-जनवरी 2022 के दौरान, कोयले का आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 180.56 मि.ट. की तुलना में 173.32 मि.ट. के स्तर तक कम हो गया है।

विद्युत क्षेत्र द्वारा कोयला आयात 2019-20 में 69.22 मि.ट. से घटकर 2020-21 में 45.47 मि.ट. हो गया। इसके अलावा, अप्रैल 2021-जनवरी 2022 के दौरान, विद्युत क्षेत्र द्वारा कोयले का आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 39.01 मि.ट. की तुलना में घटकर 22.73 मि.ट. के स्तर तक कम हो गया है।

सीआईएल द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले का शेयर, जो 2019-20 में कुल कोयला खपत का लगभग 60.8% था, वह वर्ष 2020-21 में बढ़कर 63.3% और तत्पश्चात वर्ष 2021-22 (अप्रैल-जनवरी, 2022) में 64.3% तक हो गया।

वर्ष 2021-22 (28 फरवरी, 2022 तक) में, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने पिछले वर्ष की तुलना में 22.6% की वृद्धि के साथ विद्युत क्षेत्र को 487.88 मि.ट. कोयले का प्रेषण किया है। इसी प्रकार, एससीसीएल और कैप्टिव कोयला ब्लॉकों ने विद्युत क्षेत्र को 48.91 मि.ट. और 74.65 मि.ट. कोयला (28 फरवरी, 2022 तक) प्रेषित किया है जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 36% और 40.8% अधिक है।

(ग) और (घ) : पर्याप्त रिजर्व के साथ ऊर्जा का एक किफायती स्रोत होने के कारण कोयला निकट भविष्य में ऊर्जा के एक मुख्य स्रोत के रूप में बना रहेगा। अक्षय स्रोतों को बढ़ावा देने के बावजूद, देश को स्थिरता तथा ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी कोयला आधारित उत्पादन की आधार भार क्षमता की आवश्यकता होगी। जैसे-जैसे नवीकरणीय विद्युत की कीमत घटती है और कोयला आधारित विद्युत की कीमत बढ़ती है तो नवीकरणीय विद्युत को अपनाने की ओर रूख किया जाता है जो उत्सर्जन के मुद्दों द्वारा भी समर्थित है। 'ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट' नामक अति महत्वपूर्ण निर्णय,

कोयले और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी के संबंध में पक्षकारों के बीच निम्नलिखित करार को दर्शाते हैं:

'राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार गरीबों और सबसे कमजोर को लक्षित सहायता प्रदान करते हुए और न्यायपूर्ण परिवर्तन हेतु सहयोग की आवश्यकता को समझते हुए पक्षों से आह्वान है कि वे प्रौद्योगिकियों के विकास, परिनियोजन और प्रसार तथा नीतियों को अपनाने में तेजी लाएं ताकि स्वच्छ विद्युत उत्पादन और ऊर्जा दक्षता उपायों के परिनियोजन को तेजी से बढ़ाने सहित अबाध कोयला विद्युत को कम करने और अक्षम जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने के साथ-साथ कम उत्सर्जन वाली ऊर्जा प्रणालियों की ओर अग्रसर हुआ जा सके।'

यह स्पष्ट है कि उपरोक्त पैराग्राफ में पक्षों से केवल 'आह्वान' किया गया है कि वे राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार तथा न्यायपूर्ण परिवर्तन हेतु सहयोग की आवश्यकता को समझते हुए अबाध कोयला विद्युत को कम करने के प्रयासों में तेजी लाएं। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक बहुपक्षीय संधि है।

तदनुसार, जबकि भारत की प्रतिबद्धता स्वच्छ ऊर्जा के प्रति है; भारत में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के प्रति परिवर्तन की गति को राष्ट्रीय परिस्थितियों, एवं सामान्य परंतु विशिष्ट उत्तरदायित्वों एवं संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत, जलवायु वित्त के अंतरण एवं निम्न लागत जलवायु प्रौद्योगिकियों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।

*****